REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2970]नई दिल्ली, बुधवार अक्तूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939No. 2970]NEW DELHI, WEDNESDAY OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

# रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

### (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017

**का.आ. 3390(अ)**.—आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित सुपुदर्गी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3-उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 754(अ) दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:—

# उक्त अधिसूचना में:—

- (क) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (2) में, शब्द, अंक एवं पत्र "30 सितम्बर, 2017 तक" को शब्द, अंक एवं पत्र "31 दिसम्बर, 2017 तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ख) अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद(1) में, शब्द, अंक एवं पत्र "30 सितम्बर, 2017 तक" को शब्द, अंक एवं पत्र "31 दिसम्बर, 2017 तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. बीएच-11011/1/2016-बीएच]

समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 754(अ) दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. सं. 2552(अ) दिनांक 9 अगस्त, 2017 द्वारा संशोधित की गई थी ।

### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department of Chemicals and Petrochemicals)

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 18th October, 2017

**S.O. 3390(E).**—In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 754(E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2017, namely :—

#### In the said notification, —

- (a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 30th September, 2017", the words, figures and letters "by 31<sup>st</sup> December, 2017" shall be substituted;
- (b) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters "by 30th September, 2017", the words, figures and letters "by 31<sup>st</sup> December, 2017" shall be substituted.

[F. No. BH-11011/1/2016-BH]

#### SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 754(E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2017 and amended *vide* number S.O. 2552(E) dated the 9<sup>th</sup> August, 2017.